

FORM No .III

फं अहकाम
(नियम 26)

बख प्रदायक सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

राज्यात्मक राज्य परिषद बनाय ललिता पाले नन्डलाठे अशुवाळ
 शिवाजी तहसीलदार आहोर तिळ हनुमानगढ जंक्शन तहसील व
 क्रिम मुकदमा 177 R.T. Act नं. 82/2014 वर जिला हनुमानगढ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियस्त बख	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीब में जारी हुय
22-8-14	<p>वादी द्वारा विक्रय प्रतिवादी वाड - फा कर्तवित फार 177 R.T. Act के तहत प्रेश किया गया है। अतः डाका रफ्त रजिस्टर हो। प्रतिवादी परिषद समग तलव हेतु फावली आये रा दिनी 20-10-14 के प्रेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Sur</i> सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)</p>	
20-10-14	<p>वादी की कौड ले राफ पैरोका हाजिर। प्रतिवादी की तलकी हेतु वादी की समग भाका प्रेश करे। समग प्रेश होने पर जारी हेतु फावली फॉर्म 35 दिनी 11-11-14 के प्रेश हो। ✓</p>	
11-11-14	<p>वादी राफ पैरोका प्रतिवादी की तलकी हेतु 818 समग प्रेश करे हेतु समग चाहते हैं। नामाची तै समग दिनांक जारी की फावली कलिका दिनी 23-11-14 के प्रेश हो। पुन</p>	<p style="text-align: right;"><i>Q</i> 1-12-14</p>

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रशान्त शर्मा RAS

अज अदालत:-सहायक कलेक्टर

मुकाम:-आहोर

व इजलास:-

प्रकरण संख्या : 82/2014

अनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

.....वादी

बनाम

1. ललिता पत्नि नन्दलाल जाति अग्रवाल, निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)

2. M/S Balaji Sollar Energy, Shop No. 658, New Grain Market

Hanumangarh जरिये अधिकृत भागीदार श्री सतीश बंसल पुत्र श्री तेजभान, जाति अग्रवाल (बंसल) निवासी नई आबादी गली नम्बर 8 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:-27.11.19

वादी की ओर से दिनांक 22.08.14 को पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी ललिता को मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/773 रकबा 1.22 हैक्टर की भूमि में प्रतिवादी ललिता द्वारा उपर्युक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना कृषि प्रयोजनार्थ से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने पर प्रतिवादी ललिता को उपर्युक्त खसरा नम्बर की आराजी से अहितकर कार्य करने के आधार पर बेदखल करने का आदेश फरमावे। तहसीलदार आहोर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का प्रार्थना पत्र मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।

उक्त आराजी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश संलग्न पत्र में श्रीमति ललीता देवी पत्नि नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ द्वारा स्वयं की खातेदार मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/773 रकबा 1.22 हैक्टर कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना बताया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.08.14 को दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 को जरिए नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया। दिनांक 08.06.2016 को तामिल हेतु नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। इस दरमियान प्रतिवादी सं 1 की उक्त कृषि भूमि बैंक आफ बडौदा के जरिए प्रतिवादी सं 2 को विक्रय कर दी गई। दिनांक 16.02.17 को प्रतिवादी सं 2 की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 1(10) सी.पी.सी. के तहत पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर दिनांक 27.02.17 को प्रतिवादी सं 2

रूप में सम्मिलित कर जवाब दावा पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 16.02.17 को रिश्वे वकील श्री गोपाल जीनगर द्वारा प्रतिवादी सं 2 की ओर से वकालत नामा पेश किया गया। दिनांक 20.03.17 को प्रतिवादी सं 2 की ओर से संशोधित टाईटल व जवाब दावा पेश किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दिनांक 21.12.17 को जवाब दावों के अभिकथनों के आधार पर तनकीयत कायम की गई:-

तनकीयत सं 1 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा ग्राम मौजा बादनवाडी के ख. नं. 516/773 रकबा 1.22 है. पर कृषि से अकृषि उपयोग किये जाने से अहितकर कार्य के आधार पर वादी बेदखल करवाने के अधिकारी है.....इस तनकीयत के प्रमाण में दिनांक 10.06.19 को तहसीलदार आहोर से शहादत हेतु जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त शहादत के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट (मौका फर्द) मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. मौके का फोटोग्राफ।

उक्त आराजी के संदर्भ में दिनांक 14.02.2019 को पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश मौका फर्द में ललीता पत्नि नन्दलाल कौम अग्रवाल निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ जक्शन तह व जिला हनुमानगढ के खसरा सं. 516/773 की उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में लगभग 6 फीट उंची पक्की दिवार तथा खसरे के बीच में सीमेंट से बने पक्के चबूतरे तथा चबूतरों के चारों तरफ रास्ते के रूप में खाली जगह होना बताया गया। तथा खसरे की दक्षिणी दिशा में पक्के कमरे बना होना बताया गया।

तनकीयत सं 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बैंक आफ बडौदा शाखा हनुमानगढ के नाम रहन होने के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा था। इसके कारण दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य बताया गया.....उक्त तनकीयत के साक्ष्य हेतु किसी प्रकार कोई भी प्रमाण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने हेतु बैंक आफ बडौदा को भी पक्षकार संयोजित करने हेतु दिनांक 12.06.19 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

दिनांक 18.11.19 को इस न्यायालय द्वारा बैंक आफ बडौदा को पक्षकार संयोजित करना अनावश्यक प्रतीत होने से खारिज किया गया। प्रतिवादीगण गैर हाजिर रहे तथा शहादत का कोई विरोध नहीं किया गया। पूरी बहस सुनने के बाद तनकीयत सं 1 सही सिद्ध होती है। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक 25.11.19 को पत्रावली पेश होने पर वादी पक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी पुनः अनुपस्थित रहे।

कई बार समय देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित न होने एवं अपने दावे के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में यह न्यायालय आज दिनांक 27.11.19 निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है-

आदेश


वादी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग गैर काश्त हेतु किया गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-आहोर (राज.)

अतः प्रतिवादीगण को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम जस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। धारा 178(2) श. का. अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत यदि प्रतिवादीगण द्वारा एक माह के भीतर नुकसान की पूर्ति कर दी जावे या निम्नानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन शुल्क राज्य सरकार को अदा कर दी जावे तो उक्त आदेश या डिक्री का निष्पादन नहीं किया जावे। तहसीलदार आहोर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करा रिपोर्ट 45(पैंतालीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.19 को मेरे द्वारा लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर (एम.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालंधर (राज.)
आहोर

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत:-सहायक कलेक्टर
व इजलास:-

मुकाम:-आहोर

प्रकरण संख्या : 82 / 2014

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

.....वादी

1. ललिता पत्नि नन्दलाल जाति अग्रवाल, निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)

2. M/S Balaji Sollar Energy, Shop No. 658 New Grain Market

Hanumangarh जरिये अधिकृत भागीदार श्री सतीश बंसल पुत्र श्री तेजभान जाति अग्रवाल(बंसल) निवासी नई आबादी गली नम्बर 8 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। अतः डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को सिवायचक घोषित करने का आदेश जारी किया जाता है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 27.11.19 को जारी की



सहायक कलेक्टर (स.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर (राज.)
आहोर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	आ.	पा.	प्रतिवादी	रुपये	आ.	पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	-	3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	-	-
4.रुपये परप्लीडर की फीस	-	-	-	4.रुपये परप्लीडर की फीस	-	-	-
5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	-	5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	-
6. कमिश्नर फीस	-	-	-	6. कमिश्नर फीस	-	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-	-	7. आदेशिका की तामील	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-

प्रतिलिपि:- तहसीलदार आहोर को पालनार्थ

सहायक कलेक्टर (स.डी.ओ.)
आहोर जिला-जालोर (राज.)
आहोर